

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अंतर्गत सर्वश्री साई राईस मिल, बैरिया, बेतिया को ₹4,58,000/- (कुल चार लाख अठावन हजार रूपए मात्र) के अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रो0 नीति, 2011 के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति के द्वारा दिनांक-31.07.2018 की बैठक में लिए गए निर्णय तदनुसार बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-2703 दिनांक-01.08.2018 के आलोक में निम्नांकित औद्योगिक ईकाई को उसके नाम के सामने अंकित विवरण के अनुसार डी0जी0सेट/कैप्टिभ पावर प्लांट अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

क्र0	ईकाई का नाम/ पता	अनुदान की राशि
1.	सर्वश्री साई राईस मिल, बैरिया, बेतिया	₹4,58,000/-
(कुल चार लाख अठावन हजार रूपए मात्र)		

- (i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य के बंद होती है तो भुगतान की गई राशि सूद समेत ईकाई से वसूल की जाएगी।
- (ii) ईकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों/ प्रमाण-पत्रों/ अभिलेखों के भविष्य में गलत पाए जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।
2. उक्त राशि का व्यय वहन "राज्यादेश सं0-2060 दिनांक-11.06.18 एवं आवंटनादेश सं0-05/DI-B(Allotment)-16/2018. Order No.-1480 dated-13.06.2018 के आलोक में मुख्य शीर्ष- 2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या-23, उप शीर्ष- 0160- प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड- 23. 2852801020160 के अंतर्गत विषय शीर्ष- 0160.33 01 सब्सिडी में आवंटित राशि से की जाएगी।"
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
4. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
5. इस राशि की निकासी "पूर्व प्राप्ति रसीद" पर कोषागार फार्म संख्या 25 पर की जाएगी।

6. इस राशि का भुगतान सर्वश्री साई राईस मिल, बैरिया, बेतिया को बैंक ऑफ बड़ौदा, बेतिया के खाता संख्या-12310500013301 आई0एफ0एस0 कोड- BARB0BETTIA में RTGS के माध्यम से की जाएगी।

ह0/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-.....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-.....

पटना, दिनांक..... 30.11.18

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / योजना शाखा, प्रशाखा-01 (सरकार) / आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / सर्वश्री साई राईस मिल, बैरिया, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना